NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/95/2026 दिनांक – 29.06.2026

(ईमेल)

सेवा में,

1. श्रीमान मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
   सचिवालय, 4, सुभाष रोड देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001
   ईमेल – abardhan@ias.nic.in
2. श्रीमान सचिव (आबकारी), उत्तराखण्ड शासन,
   सचिवालय, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001
   ईमेल – fanail@ias.nic.in
3. श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड
   राज्य पुलिस मुख्यालय, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001
   ईमेल – dgc-police-ua@nic.in
4. श्रीमान आबकारी आयुक्त
   15/1 गांधी रोड, तहसील चौक, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001
   ईमेल – utkexcise@gmail.com
5. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट,
   कलेक्ट्रेट, रोशनाबाद, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 249403
   ईमेल – dm-har-ua@nic.in

विषय : राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थानों तथा आवासीय क्षेत्रों के निकट संचालित शराब की दुकानों को तत्काल हटाये/अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/12/2016 के शब्दशः अनुपालन विषयक।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट एक जनहित एवं लोककल्याण के उद्देश्य से कार्यरत संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संविधान के मूल्यों, विधि के शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य,

(Chairman)
National Public Service Trust
29/06/26

नागरिकों की सुरक्षा तथा सुशासन को प्रोत्साहित करना है एवं उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि जनपद हरिद्वार सहित उत्तराखण्ड राज्य के अनेक स्थानों पर शराब की दुकानें राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, चिकित्सालयों, विद्यालयों तथा घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों के अत्यंत समीप संचालित की जा रही हैं। ऐसी स्थिति न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन एवं गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन है, बल्कि राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों, विशेषकर अनुच्छेद 47 की भावना के भी विपरीत है, जिसके अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह जनस्वास्थ्य की रक्षा करे तथा मादक पदार्थों के उपभोग को नियंत्रित करे ।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **STATE OF TAMIL NADU AND ORS. Vs. K. BALU AND ANR. (Civil Appeal Nos. 12164-12166 of 2016)** में पारित निर्णय दिनांक 15/12/2016 में स्थापित निर्देशानुसार – "शराब की बिक्री के लिए कोई भी दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से दिखाई नहीं देगी, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंच योग्य नहीं होगी और राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के बाहरी किनारे या राजमार्ग के साथ सर्विस लेन के 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित नहीं होगी ।" माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पैरा सं0 **24(v)(vi)** निम्नवत है :

> ***(v) No shop for the sale of liquor shall be (i) visible from a national or state highway; (ii) directly accessible from a national or state highway and (iii) situated within a distance of 500 metres of the outer edge of the national or state highway or of a service lane along the highway.***
>
> ***(vi) All States and Union territories are mandated to strictly enforce the above directions.*** *The Chief Secretaries and Directors General of Police shall within one month chalk out a plan for enforcement in consultation with the state revenue and home departments. Responsibility shall be assigned inter alia to District Collectors and Superintendents of Police and other competent authorities. Compliance shall be strictly monitored by calling for fortnightly reports on action taken.*

परन्तु ऐसे में, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, अस्पताल, स्कूलों व आवासीय कॉलोनियों के पास शराब की दुकानों की उपस्थिति समाज की नैतिकता, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और महिलाओं एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए घातक है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश में भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को इन निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया है । उक्त निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ **<u>संलग्नक सं0–1</u>** है ।

(Chairman)
National Public Service Trust 29/-6/26

उक्त विधिक स्थिति के आलोक में नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट द्वारा दिनांक 27/06/2026 एवं 29/06/2026 को जनपद हरिद्वार के विभिन्न स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अनेक संवेदनशील स्थलों के निकट शराब की दुकानें आज भी संचालित हो रही हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा सामाजिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

दिनांक 27/06/2026 को किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि ''श्री स्वामी भूमानन्द अस्पताल, जनपद हरिद्वार'' के अत्यंत निकट एक शराब की दुकान संचालित की जा रही है । अस्पताल एक ऐसा स्थान है जहाँ गंभीर रोगी, महिलाएँ, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक एवं आपातकालीन चिकित्सा हेतु आने वाले नागरिक निरंतर आवागमन करते हैं। ऐसे स्थान के समीप शराब की दुकान का संचालन सार्वजनिक शांति, रोगियों की गरिमा, महिलाओं की सुरक्षा तथा अस्पताल के उपचारात्मक वातावरण के पूर्णतः प्रतिकूल है । निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान के विभिन्न कोणों से फोटोग्राफ लिये गये हैं, जो इस पत्र के साथ **संलग्नक सं0–2** है ।

इसी प्रकार जुर्स कन्ट्री आवासीय सोसाइटी, निकट विजडम ग्लोबल स्कूल, जनपद हरिद्वार के समीप भी लगभग 50–100 मीटर की दूरी पर एक शराब की दुकान संचालित की जा रही है । उक्त दुकान विद्यालय आने–जाने वाले विद्यार्थियों, महिलाओं, अभिभावकों तथा हजारों स्थानीय निवासियों के दैनिक आवागमन वाले क्षेत्र में स्थित है । विद्यालय एवं आवासीय क्षेत्र के निकट शराब की दुकान का संचालन सामाजिक नैतिकता, बच्चों के मानसिक विकास, महिलाओं की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है । निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान के भी फोटोग्राफ लिये गये हैं, जिन्हें इस पत्र के साथ **संलग्नक सं0–3** के रूप में संलग्न किया जा रहा है ।

उक्त दोनों निरीक्षण यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि जनपद हरिद्वार के संबंधित विभागों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है । यदि संवेदनशील स्थानों के समीप इस प्रकार शराब की दुकानें निर्बाध रूप से संचालित होती रहीं तो इससे विधि–व्यवस्था, महिला सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं, अपराधों तथा जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । इस प्रस्तर पर यह भी विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि शाम के समय से लगातार देर रात तक उपरोक्त दोनों शराब की दुकानों के पास सडक पर लोग शराब का सेवन कर अत्यधिक नशे में घूमते है जिससे दुर्घटना एवं झगडा होने की भी संभावना है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग तथा जिला प्रशासन पर यह वैधानिक दायित्व है कि वे समय–समय पर सभी शराब की दुकानों का भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दुकान विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक स्थल, आवासीय क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन न कर रही हो । यदि किसी दुकान का संचालन इन मानकों के विपरीत पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाना अथवा स्थानान्तरित करना संबंधित अधिकारियों का वैधानिक दायित्व है।

(Chairman)
National Public Service Trust
29/06/26

अतः नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट जनहित में आपसे निम्नलिखित बिंदुओं पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/12/2016 का अनुपालन कराये जाने का अनुरोध करता है :–

1. जनपद हरिद्वार के अंतर्गत स्थित सभी शराब की दुकानों की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण (Physical Survey) कर उन्हें चिह्नित किया जाए जो उक्त वर्णित संवेदनशील स्थानों के समीप संचालित हो रही हैं ।
2. जनपद हरिद्वार सहित सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में संचालित समस्त शराब की दुकानों का विशेष भौतिक सर्वेक्षण कराया जाये एवं जो दुकानें राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्गों, विद्यालयों, अस्पताल, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों अथवा आवासीय क्षेत्रों के 500 मीटर के दायरे में आती हों, उन्हें तत्काल हटाये जाने/स्थानांतरित किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए ।
3. इस संबंध में एक सार्वजनिक रिपोर्ट/प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनपद के नागरिकों को आश्वस्त किया जाए कि शासन इस विषय को लेकर गंभीर है।
4. दिनांक 27/06/2026 को निरीक्षण में चिन्हित ''श्री स्वामी भूमानन्द अस्पताल'' के निकट स्थित शराब की दुकान के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसका संचालन बंद कराया जाये अथवा उसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाये ।
5. दिनांक 27/06/2026 को निरीक्षण में चिन्हित जुर्स कन्ट्री आवासीय सोसाइटी एवं विजडम ग्लोबल स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित शराब की दुकान को तत्काल प्रभाव से हटाया अथवा स्थानान्तरित किया जाये ।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15/12/2016 के अनुपालन में राज्य स्तर पर स्थायी निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग तंत्र विकसित किया जाये ।

अतः जनहित, विधि के शासन तथा संविधान की भावना को दृष्टिगत रखते हुए इस पत्र पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(Chairman)
National Public Service Trust

भवदीय,

24/6/26

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।